

# भारतीय गैर न्यायिक

दस

TEN  
RUPEES

Rs. 10

NOTARIAL SEALS NO. 107-APR-1981  
NOTARIAL  
NOTARIAL



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश

शुष्म शोराधिकारी  
शपथ-पत्र

01AB 031204

सेवा में,

क्षेत्रिये निदेशक  
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  
जयपुर ।

मैं आरिफ अनवर हाशमी पुत्र श्री अब्दुल गफार हाशमी आयु 45 वर्ष प्रबन्धक नेशनल महि  
महाविद्यालय रेहरा बाजार जनपद - बलरामपुर निवासी ग्राम व पोस्ट - सादुल्लाह नगर जनपद  
बलरामपुर शपथ पूर्वक निम्न वयान करता हूँ :-

1. यह कि नेशनल महिला महाविद्यालय रेहरा बाजार ग्राम रेहरा तहसील उत्तरौला जनपद - बलरामपुर स्थित हैं ।
2. यह कि नेशनल महिला महाविद्यालय रेहरा बाजार ग्राम रेहरा तहसील उत्तरौला जनपद - बलराम गाटा सं0 645 पर निर्मित हैं ।
3. यह कि गाटा सं0 645 परगना अधिकारी तहसील उत्तरौला द्वारा अकृषक भूमि घोषित की गयी हैं ।



DECLARED BEFORE ME  
ON 24/9/80

NOTARIAL  
MUMBAI

~~आवेदन संख्या 1119/2010 दिनांक 20/09/2010 को जिला प्रशासनिक अधिकारी~~  
~~द्वारा/आसिस्टेंट कलेक्टर द्वारा जारी की गई थी~~  
~~कु. वा. संख्या 6/2010 दिनांक 14/3/2010 के अन्तर्गत~~  
~~इस पर कार्यवाही करने के लिये उक्त आदेश जारी किया गया है~~  
~~दिनांक 23-9-2010~~  
~~उक्त आदेश को अंतिम रूप में देखा गया है~~

न्यायालय परामर्शकारी/आसिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी उत्तरीय जनपद  
 बरभतपुर ।  
 =====

वा. संख्या :- 6

उत्तरीय जनपद का प्रथम श्रेणी  
 आसिस्टेंट कलेक्टर का कार्यालय  
 बरभतपुर, उत्तर प्रदेश  
 जनपद बरभतपुर ।


प्रबन्धक नेशनल महिला महा विद्यालय बरभतपुर जिला गौस रसा रेहरा  
 जादेश ।  
 =====



प्रस्तुत वा. संख्या 143/30 प्र. 0 ज. 0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के  
 अन्तर्गत श्री आरिफ अन्वर हाशमी प्रबन्धक नेशनल महिला महा विद्यालय रेहरा  
 बाजार परगना हाडुल्लाबनगर तहसील उत्तरीय जनपद बरभतपुर द्वारा  
 का जोरित किया गया है कि वह गाटा संख्या 645/0.486/0.020/0.020  
 का जोरित किया गया है कि वह गाटा संख्या 645/0.486/0.020/0.020 का जोरित  
 किया गया है तथा उक्त नम्बर वाले गाटा पर कृषि प्रयोग आवासीय  
 में प्रयोग किया जाता है एवं महा विद्यालय का अपने प्रयोग के लिये  
 गाटा संख्याओं को अज्ञात आवासीय घोषित किये - कि वे गाटा संख्या

इस सम्बन्ध में तहसीलदार उत्तरीय से जारी प्राप्त की गयी कि  
 वार उत्तरीय ने अपनी जारी दिनांक 21-09-2010 द्वारा मायब तहसीलदार  
 की जारी दिनांक 20-09-2010 को ज्ञात किया है । मायब तहसीलदार  
 ने अपनी जारी दिनांक 20-09-2010 में यह उल्लेख किया है कि गाटा संख्या  
 645/0.486/0.020 तथा गाटा संख्या 645/0.020/0.020 राजस्व आसिस्टेंट में  
 नेशनल महिला महा विद्यालय रेहरा बाजार के नाम अंकित आवासीय है ।  
 तहसीलदार से यह बात हुआ कि गाटा संख्या 645/0.486/0.020/0.020  
 645/0.486/0.020 में से खसबा 0.283/0.020 पर विद्यालय बना है ।  
 विद्यालय में 12 कमरे बं बरगवा बना है तथा शोध भूमि विद्यालय प्रांगण के  
 प्रयुक्त है । इस भूमि पर कृषि, बागवानी अथवा कुक्कुट पालन का कार्य नहीं  
 जाता है । अन्त में गाटा संख्या 645/0.020/0.020/0.020 तथा गाटा संख्या  
 645/0.020/0.020/0.020 को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित करने की  
 संस्तुति की गयी ।

मैं पत्रावली का सम्बन्ध परिलखित किया । पत्रावली पर उपलब्ध हकीम  
 सन् 1913-1418 फ. 0 ग्राम रेहरा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रबन्धक  
 विवादित भूमि नेशनल महिला महा विद्यालय रेहरा द्वारा स्थापित कारिका वि  
 रेहरा संस्थान हाडुल्लाबनगर प्रबन्धक आरिफ अन्वर हाशमी कु. वा. संख्या 6/2010  
 हाशमी विवादी ग्राम व परगना हाडुल्लाबनगर तहसील उत्तरीय जनपद बरभतपुर  
 का नाम आरिफ अन्वर हाशमी अंकित है । विवादित भूमि में  
 बागवानी एवं कुक्कुट पालन का कार्य प्रयोग किया है अतः कि गाटा संख्या  
 645/0.486/0.020/0.020 का जोरित किया गया है तथा उक्त नम्बर वाले गाटा पर  
 कृषि प्रयोग आवासीय में प्रयोग किया जाता है । अन्त में गाटा संख्या  
 645/0.020/0.020/0.020 को गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित करने की



में वी० के० गुप्ता परगनाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी  
 उत्तरौला घोषणा करता है कि सम्बन्धित भूमि जिसका विवरण नीचे दिया जा  
 रहा है का उपयोग कृषि कार्य, बागवानी एवं सुदृष्ट पालन भी सम्भारित है,  
 से अस्मन्धत् प्रयोजनाके लिए प्रयोग किया जाता है।

विवरण विवर्धित भूमि जिसका नियम - 136 में उल्लिखित है {

- |  |   |
|--|---|
| 1- धारा जिसके अधीन घोषणा की गयी।   | धारा 1433090 जो वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।  |
| 2- भूखण्ड जिसके सम्बन्ध में घोषणा स्वीकार की गयी की संख्या व क्षेत्रफल।  | गाटा संख्या 644मि०/०.०20 हे०<br>गाटा संख्या 645मि०/०.283 हे०  |
| 3- उक्त भूखण्ड का लगान   | 61 रु के अनुसार,  |
| 4- ग्राम, परगना, तहसील जिसमें उक्त भूमि स्थित का नाम।                    | ग्राम रेहरा परगना सादुल्लाहगर तहसील उत्तरौला जनपद बलरामपुर।   |
| 5- भूमिधर जिसके पक्ष में घोषणा की गयी का नाम व पति का नाम और निवास स्थान | नेशनल महिला महाविद्यालय ग्राम रेहरा धारा संचालित बालिका विकास सेवा संस्थान सादुल्लाहगर, प्रबन्धक आरिफ अनवर हाशमी मु. अब्दुल गफ्फार हाशमी नि०गा० व परगना सादुल्लाहगर तहसील उत्तरौला जनपद बलरामपुर। |



आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23-9-10 को पारित किया गया।

9/23/10  
 वी० के० गुप्ता  
 परगनाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर  
 प्रथम श्रेणी, उत्तरौला बलरामपुर

आदेश की एक प्रति उप निबन्धक उत्तरौला को द्वारा जिला निबन्धन अधिकारी बलरामपुर को अन्तर्गत नियम-137 उ० प्र० जो वि० एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त घोषणा को पंजीकृत कर पंजीकरण की प्रति इस न्यायालय को वापस करायें। आदेश की अंकीय नियमानुसार अभिलेखों में की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली बांथल दफ्तर की जाय।

यदुबाबू 23/9/10

सत्य प्रतिलिपि  
 [Signature]

सुभाष 23/9/10

परगनाधिकारी, उत्तरौला (बलरामपुर)

9/23/10  
 वी० के० गुप्ता  
 परगनाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर  
 प्रथम श्रेणी उत्तरौला बलरामपुर

- 1- [Signature] 23/9/10
- 2- [Signature] 23/9/10
- 3- [Signature] 23/9/10
- 4- [Signature] 23/9/10
- 5- [Signature] 23/9/10